न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —85 / 2018 अपील (RCMS/2018/00092)
पंजीयन दिनांक —05.06.2018
निर्णय दिनांक —19.03.2019

1. श्री लालसिंह पिता श्री कूपसिंह जी रावत, निवासी हीरा की बस्सी—ए, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. श्री बबलुसिंह पिता श्री कूपसिंह जी रावत, निवासी हीरा की बस्सी—ए, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री दीपक पिता श्री कन्हैयालाल शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. श्री विकास पिता श्री कन्हैयालाल शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती दीपमाला पिता श्री कन्हैयालाल शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द।
4. श्रीमती आरती पिता श्री कन्हैयालाल शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती कमला पिता श्री कन्हैयालाल शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत विजयपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री रोशनलाल जैन व आशीष दोवडिया — वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, प्रकरण संख्या 05 / 2015 दिनांक 05.06.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 19.03.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, प्रकरण संख्या 05 / 2015 दिनांक 05.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि—

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ समक्ष अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत विजयपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या–375 दिनांक 20.06.2014 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा–75 प्रस्तुत की और निवेदन किया कि ग्राम हीरा का बस्सी–ए तहसील देवगढ़ में आराजी संख्या 273 रकबा 9 बिस्वा व आराजी नम्बर 269 रकबा 19 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि जो कि उनके (अपीलान्ट) के पिता श्री कूपसिंह ने नाम दर्ज थी। उक्त आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या–1 से 5 के पिता श्री कन्हैयालाल द्वारा दिनांक 10.02.1983 को एक विक्रय पत्र से अपीलान्ट के पिता को धोखे से दस्तावेज लेखक के मिलीभगत कर गलत रूप से दर्ज करा दी जबकि अपीलान्ट के पिता ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 249, 250, 251, 252, 253 व 364/249 की भूमियां ही श्री कन्हैयालाल को बेचना तय किया था। श्री कूपसिंह, अपीलान्ट के पिता के अनपढ़ होने से उसे उक्त नम्बरों का ज्ञान नहीं था। इस सम्बन्ध में एक वाद पत्र भी सहायक कलक्टर, देवगढ़ में धारा–88, 188 आरटीए के अन्तर्गत दर्ज कराया गया। रेस्पोडेंट के पिता श्री कन्हैयालाल की मृत्यु के पश्चात् विरासत से नामान्तकरण संख्या–375 दिनांक 20.06.2014 जो खोला गया जो विधि विरूद्ध है एवं विवादित आराजीयात है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार के तहत कैम्प विजयपुरा में रख कर दिनांक 05.06.2017 को निर्णय पारित किया कि

''पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प विजयपुरा में पेश हुई। अधिवक्ता रेस्पोडेंट उपस्थित। मूल वाद में निर्णय हो चुका है। अतः इस पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से कार्यवाही ड्रोप की जाती है।''

उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में बताया कि रेस्पोडेंट के पिता श्री कन्हैयालाल की मृत्यु के पश्चात विरासत से जो नामान्तरकरण ग्राम पंचायत विजयपुरा द्वारा खोला गया वह गलत खोला गया क्योंकि उक्त आराजीयात विवादित होकर न्यायालय में प्रकरण में विचाराधीन है और कोई आराजीयात विवादित हो, तो उसे अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज करने या नामान्तरकरण खोलने का अधिकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत ने जानकारी के अभाव में बिना जांच पड़ताल किए, बिना अपीलान्ट को सूचित किए, उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की पेशी दिनांक 05.06.2017 को तलबी हेतु नियत थी परन्तु इस बीच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प विजयपुरा में दिनांक 05.06.2017 को रख तहसील देवगढ़ से पत्रावली मगाई जाकर अपीलान्ट को बिना सूचित किए रेस्पोडेंट को सुन एकतरफा निर्णय पारित किया जो बिना कानून की पालना किए पारित किया गया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के प्रतिकुल है। अन्त में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.06.2017 अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट के दृढ़ता से तर्क किया कि ग्राम पंचायत ने जानकारी के अभाव में बिना जांच पड़ताल किए, बिना अपीलान्ट को सूचित किए, उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की पेशी दिनांक 05.06.2017 को तलबी हेतु नियत थी परन्तु इस बीच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प विजयपुरा में दिनांक 05.06.2017 को रख तहसील देवगढ़ से पत्रावली मंगाई जाकर अपीलान्ट को बिना सूचित किए रेस्पोडेंट को सुन एकतरफा निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान न कर एकतरफा निर्णय पारित किया गया। साथ ही निर्णय दिनांक 05.06.2017 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ का निर्णय दिनांक 05.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 19.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संभागीय आयुक्त
उदयपुर